भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4346

उत्तर देने की तारीख: 19.08.2025

जाट समुदाय के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण

4346. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के कई राज्यों में जाट समुदाय को राज्य स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ दिया जाता है परन्तु केन्द्र स्तर पर इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से वंचित अन्य राज्यों के जाट समुदाय सहित राजस्थान के भरतपुर, डीग, धौलपुर जिलों के जाट समुदाय को केन्द्र स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण प्रदान करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): केन्द्र स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ राजस्थान (भरतपुर और धौलपुर जिलों को छोड़कर) में जाट समुदाय और गुजरात राज्य के जाट (मुस्लिम) को प्रदान किया जा रहा है।

(ग) और (घ): संसद कानून द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में जातियों/समुदायों को शामिल कर सकती है या उससे हटा सकती है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में किसी भी जाति को शामिल करने या हटाने का कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 342क के अनुसार किया जाता है।

*****